संख्या-25/2021/745/33-3-2021-33/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायती राज,

उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2021**

विषय- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2020-21 के लिए संस्तुत निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की द्वितीय किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) F.C..-XV/FCD/2020-25 दिनांक 26.03.2021, वित्त संसाधन (वि0आ0 एवं के0स0) अनुभाग के पत्र संख्या-एफ0सी0 सी0ए0-135/दस -2021-2 /2020 दिनांक 20.03.2021 एवं आपके पत्र संख्या-8/5157/2021-8/98/2020-21 दिनांक 30-03-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु द्वितीय किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 243800.00 लाख में से क्रमश: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट की धनराशि के उपयोग किए जानें के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1817/33-3-2020-33/2020 दिनांक 24.08.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्थाओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(6) धनराशि के आहरण की सूचना ,बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति धनराशि को निर्गत करनें के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृति की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी; जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करनें के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के ऊपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होने का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से आवंटित द्वितीय किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की कुल धनराशि रू. 243800.00 लाख निम्नवत सारिणी के अनुसार अवमुक्त की जायेगी:-

(धनराशि रुपयें में)

क्र0 सं0	**जनपद**	**जिला पंचायत**	**क्षेत्र पंचायत**	**ग्राम पंचायत**	**योग (3+4+5)**
1	**2**	3	4	5	6
1	**आगरा**	60778814	60778814	283634464	405192092
2	**अलीगढ़**	55750532	55750532	260169149	371670213
3	**अम्बेडकर नगर**	48071376	48071376	224333090	320475842
4	**अमेठी**	43507560	43507560	203035280	290050400
5	**अमरोहा**	32896223	32896223	153515706	219308152
6	**औरैया**	28181393	28181393	131513167	187875953
7	**अयोध्या**	47606329	47606329	222162868	317375526
8	**आजमगढ़**	98261869	98261869	458555388	655079126
9	**बागपत**	23796733	23796733	111051420	158644886
10	**बहराइच**	75448047	75448047	352090885	502986979
11	**बलिया**	66931718	66931718	312348017	446211453
12	**बलरामपुर**	47926975	47926975	223659215	319513165
13	**बाँदा**	39111579	39111579	182520703	260743861
14	**बाराबंकी**	68434225	68434225	319359714	456228164
15	**बरेली**	70992819	70992819	331299824	473285462
16	**बस्ती**	50752021	50752021	236842764	338346806
17	**भदोही**	30130105	30130105	140607158	200867368

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	**बिजनौर**	66845585	66845585	311946062	445637232
19	**बदायूँ**	61028524	61028524	284799780	406856828
20	**बुलन्दशहर**	62932616	62932616	293685540	419550772
21	**चन्दौली**	41203826	41203826	192284520	274692172
22	**चित्रकूट**	23414134	23414134	109265959	156094227
23	**देवरिया**	63633157	63633157	296954731	424221045
24	**एटा**	36649877	36649877	171032758	244332512
25	**इटावा**	29786722	29786722	139004705	198578149
26	**फर्रूखाबाद**	34985621	34985621	163266231	233237473
27	**फतेहपुर**	55656773	55656773	259731606	371045152
28	**फिरोजाबाद**	39254533	39254533	183187819	261696885
29	**गौतम बुद्ध नगर**	7944098	7944098	37072462	52960658
30	**गाजियाबाद**	16385088	16385088	76463743	109233919
31	**गाजीपुर**	77962789	77962789	363826348	519751926
32	**गोण्डा**	76925081	76925081	358983712	512833874
33	**गोरखपुर**	78955185	78955185	368457531	526367901
34	**हमीरपुर**	24976493	24976493	116556966	166509952
35	**हापुड़**	22079343	22079343	103036935	147195621
36	**हरदोई**	87894244	87894244	410173138	585961626
37	**हाथरस**	28717983	28717983	134017256	191453222
38	**जालौन**	28813545	28813545	134463209	192090299
39	**जौनपुर**	94145508	94145508	439345702	627636718

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40	**झाँसी**	33487091	33487091	156273091	223247273
41	**कन्नौज**	32869110	32869110	153389181	219127401
42	**कानपुर देहात**	38072473	38072473	177671542	253816488
43	**कानपुर नगर**	38518166	38518166	179751443	256787775
44	**कासगंज**	28028260	28028260	130798548	186855068
45	**कौशाम्बी**	31147671	31147671	145355796	207651138
46	**खीरी**	88075945	88075945	411021077	587172967
47	**कुशीनगर**	70158580	70158580	327406708	467723868
48	**ललितपुर**	30505831	30505831	142360544	203372206
49	**लखनऊ**	30483176	30483176	142254819	203221171
50	**महराजगंज**	55056889	55056889	256932148	367045926
51	**महोबा**	20342854	20342854	94933317	135619025
52	**मैनपुरी**	37401492	37401492	174540294	249343278
53	**मथुरा**	40602067	40602067	189476314	270680448
54	**मऊ**	37905407	37905407	176891898	252702712
55	**मेरठ**	39420148	39420148	183960689	262800985
56	**मिर्जापुर**	54034723	54034723	252162038	360231484
57	**मुरादाबाद**	44824781	44824781	209182312	298831874
58	**मुजफ्फरनगर**	51396745	51396745	239851479	342644969
59	**पीलीभीत**	42098183	42098183	196458188	280654554
60	**प्रतापगढ़**	67819656	67819656	316491727	452131039
61	**प्रयागराज**	99561356	99561356	464619683	663742395
62	**रायबरेली**	61101715	61101715	285141335	407344765

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

63	**रामपुर**	40734258	40734258	190093205	271561721
64	**सहारनपुर**	57294681	57294681	267375180	381964542
65	**सम्भल**	41536155	41536155	193835389	276907699
66	**सन्त कबीर नगर**	35200355	35200355	164268321	234669031
67	**शाहजहाँपुर**	57329540	57329540	267537855	382196935
68	**शामली**	22166855	22166855	103445321	147779031
69	**श्रावस्ती**	25673815	25673815	119811134	171158764
70	**सिद्धार्थ नगर**	53078502	53078502	247699674	353856678
71	**सीतापुर**	94995990	94995990	443314620	633306600
72	**सोनभद्र**	44880154	44880154	209440720	299201028
73	**सुल्तानपुर**	53542391	53542391	249864489	356949271
74	**उन्नाव**	62923909	62923909	293644910	419492728
75	**वाराणसी**	45962033	45962033	214489486	306413552
	कुल योग	**3657000000**	**3657000000**	**17066000000**	**24380000000**

2- उक्त मदों पर होनें वाला व्यय चालू वित्त वर्ष 2020-21 में आय- व्ययक के अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग- 0301-पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान - 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,प्रथम/ आडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- समस्त मण्डलायुक्त।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

5- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।

6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।

8- संबंधित बैंकों को।

9- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2

11- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।

12- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।

13- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

14- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।